# न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

1. होलीराम पुत्र मुन्नालाल
2. रामबाबू पुत्र गोविन्द
3. रामनेरश पुत्र गोविन्द
4. हरितिलास पुत्र गिरधारी
5. उमेश पुत्र सुमेरा
6. दीपक पुत्र सुमेरा

समस्त निवासीगण ग्राम मंसूरपुरा तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

—— आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 08/02/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. शियाराम पुत्र विलसे
2. फूलाबाई वेवा कुन्दनलाल

निवसी ग्राम मसूरपुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

3. मुकेश पुत्र रामजीलाल
4. मंजू पत्नी परिमाल
5. कपूरीबाई पत्नी रामजीलाल
6. दुर्गेश वेवा पहलवान
7. अरविन्द पुत्र रमेशचन्द्र समस्त जाति वैश्य निवासीगण पोरसा जिला मुरैना
8. दधिराम पुत्र शियाराम
9. टीकाराम पुत्र शियाराम
10. तुलसीराम पुत्र कुन्दनलाल
11. रामदत्त पुत्र कुन्दनलाल

समस्त निवासीगण ग्राम मसूरपुरा तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

—— अनावेदकगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 78/2014—15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरूद्ध जानकारी दिनांक 31.01.2017 निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत।**

XXIX(a)-BR(H)-11

-2-

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-600-एक/17 **जिला** - मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24/7/18 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 78/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम पृथ्वीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 405 रकवा 0.73 हे. में से 10 बिस्वा भूमि पर अनावेदकगण द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिसका कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही के दौरान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.11.2014 द्वारा अनावेदकगण को कब्जा हटाए जाने के आदेश दिए एवं 5000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया। जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 27.01.2015 द्वारा निरस्त की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त चम्बल सभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा जिस पंचनामा और पटवारी व राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट तथा साक्ष्य के कथनों के आधार पर आदेश पारित किया गया है। उनका कानून में साक्षिक महत्व है, क्योंकि अनावेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | साक्ष्य व सुनवाई तथा कूट परीक्षण का अवसर प्रदान किया जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा संहिता की धारा 250 में बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं होने से अपास्तनीय है।<br>उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रथम न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह जिला मुरैना के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 71/14 ए0इ0दी0 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा होने से रोका गया है, इस तथ्य को भी अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।<br>4. अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वे क्रमांक 404 व 405 आपस में लगे हुए हैं। आवेदक होलीराम आदि अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 405 रकवा 0.73 हे0 में से रकवा 10 बिस्वा अनावेदक सियाराम तथा अनावेदक सियाराम के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 404 रकवा 0.25 हे0 में से 5 विस्वा आवेदक होलीराम अपने अपने खेत में मिलाकर करीब 70 वर्ष से नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। आवेदक होलीराम द्वारा अनावेदक की 5 बिस्वा भूमि पर से कब्जा हटा लिया है जबकि अनावेदक सियाराम द्वारा आवेदक की भूमि 10 बिस्वा पर से कब्जा हटाया है वह झोपड़ी बनाकर निवास कर रहा है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अनावेदक 70 वर्ष से काबिज हैं। | |

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-600-एक/17 **जिला** - मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि कानूनन भूमि स्वामी के कब्जा किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन दे सकता है, जबकि इस प्रकरण में पक्षकारगण एक-दूसरे की भूमि पर 70 वर्ष से काबिज होकर सहमति के आधार पर कास्त करते चले आ रहे हैं।<br>उनके द्वारा यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.07.2014 को किए गए सीमांकन की कोई सूचना अनावेदकों को नहीं दी गई।<br>उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा पृथक-पृथक कार्यवाही की जा रही है जो अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह में प्र0क्र0 56/14 ए0इ0दी0 पर विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 18.07.18 नियत है जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दीवानी दावा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह में प्र0क्र0 71/14 ए0इ0दी0 पर विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 25.07.18 साक्ष्य हेतु नियत है। दोनों ही विचाराधीन वाद में आवेदक व अनावेदक द्वारा अपने अपने हक में स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है, जिसका निराकरण दीवानी दावा में होना है।<br>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण धारा 250 का है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 02.07.2014 को कराए गए सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 का आवेदन दिया गया है। जबकि उक्त सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना अनावेदकों को नहीं दी गई। उन्होंने यह भी पाया है कि करीब 70 वर्षों से आवेदक तथा अनावेदकगण एक- | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | दूसरे की भूमि पर काबिज होकर सहमति के आधार पर कास्त करते चले आ रहे हैं, इस बिन्दु को तहसीलदार द्वारा अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों द्वारा व्यवहार न्यायालय में पृथक-पृथक वाद प्रस्तुत किए गए हैं। तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अंडर टेकिंग के आधार पर दिनांक 17.10.2014 को स्थगन आदेश दिया गया है। इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य स्वत्व के संबंध में व्यवहारवाद लंबित है और व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा वह राजस्व न्यायालयों के साथ-साथ पक्षकारों पर भी बंधनकारी होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामत: यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।<br>पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये।<br><br>**(एम.गोपाल रेड्डी)**<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |